

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-11/2005

5369

/क०, पटना, दिनांक

19-12-2016

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री सुधांशु जयसवाल,  
मेसर्स बायोस्टाड इण्डिया लि०,  
द्वारा-मेसर्स हरि इन्टरप्राइजेज,  
जयसवाल हाउस, बैंक रोड, पटना-01,

विषय :-

कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 138 दिनांक 24.07.2007 का स्वीकरण  
के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे विहित प्रपत्र-VII, में प्राप्त आवेदन कोषागार चालान एवं अन्य मान्य  
कागजातों तथा सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सर्वेलेन्स मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के  
आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 में निहित प्रावधानों एवं कीटनाशी (संशोधन) नियम  
2015 के आलोक में प्रपत्र- VIII, में अंकित शर्तों के अधीन विषयांतर्गत अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की  
जाती है।2. अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक, पौधा  
संरक्षण, बिहार पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजा जाय।

अनुलग्नक :-मूल अनुज्ञप्ति।

विश्वासभाजन

(हिमांशु कुमार राय)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

5369

/क०, पटना, दिनांक

19-12-2016

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शाष्प) उत्पादन, बिहार,  
पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने  
हेतु प्रेषित।

हिमांशु

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।